न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 53/2025

GCMS No. : 2025/258

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		निर्मल चौधरी पुत्र भंवरलाल चौधरी, मैसर्स मिल्क स्टेशन, एनएच 162 किसान पेट्रोल पम्प के पीछे मानपुरा बाई पास पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :-

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक: 26\11\2025

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वाास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खा.सु/एवं औ.नि./संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 05.03.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स मिल्क स्टेशन, एनएच 162 किसान पेट्रोल पम्प के पीछे मानपुरा बाई पास पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम निर्मल चौधरी पुत्र भंवरलाल चौधरी बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में रखे स्टील टेंक में लगभग 1000 लीटर मिक्स मिल्क आमजन को बेचने हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने मिक्स मिल्क का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 2 लीटर मिक्स मिल्क वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 100 / – रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मिक्स मिल्क कों नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2880 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया मिक्स मिल्क का नमुना संख्या आर–2880 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस / 132 / एक्ट / 2025 / 120 दिनांक 26.03. 2025 के अनुसार **Sub-Standard** (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी ने उक्त नमुना मिक्स मिल्क की पुनः जाचं करवाने का निवेदन करने पर उक्त नमुना मिक्स दुध का एक नमुना रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मेसुर भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त मिक्स मिल्क अवमानक की श्रैणी में पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** (अवमानक) स्तर के मिक्स मिल्क को आमजन को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया प्रार्थी द्वार जिस दुध का नमुना लिया गया वह आमजन

अतिरिक्त ... मजिस्ट्रेट
पाली

को विक्रय के लिये नहीं था बल्कि उस दुध का उपयोग यथा पनीर, दही आदि उत्पाद बनाने के लिये किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अवगत करवा दिया था उसके उपरान्त भी उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले दुध का सेम्पल न लिया जाकर उत्पाद बनाने वाले दुध का नमूना लिया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर सभी कार्य खाद्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है एवं निर्धारित मानकों के आधार पर ही खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का कोई दोष नहीं होने से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण ड्रोप फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मिल्क स्टेशन, एनएच 162 किसान पेट्रोल पम्प के पीछे मानपुरा बाई पास पाली से लिया गया मिक्स मिल्क का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2880 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये मिक्स मिल्क का नमुना कोड संख्या आर–2880 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया मिक्स मिल्क का नमुना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया, जिसे अप्रार्थी के निवेदन पर पुनः जांच हेतु रेफरेल लेब मेसुर भेजा गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी उक्त नमुना मिक्स मिल्क अवमानक की श्रेणी में पाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये जिस दुध का नमूना लिया गया उसे आमजन को विक्रय नहीं किया जाकर अन्य उत्पाद बनाये जाते थे परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि उक्त दुध का उपयोग आमजन को बेचने के लिये नहीं किया जाता हो। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। उक्त नमुना मिक्स मिल्क अवमानक श्रेणी में आने की समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी की होती है। जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) मिक्स दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/– रूपये अक्षरे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)